न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसल
155/प्रा0पत्र/2019	11.11.2019	10.12.2019

छीतर सिंह आ0 पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज0)
...प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी (राज0)
.........अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ताप्रार्थीः– श्री नन्द सिंह सोंलकी
अधिवक्ता अप्रार्थीगणः–

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम

संक्षेप में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किये किः–

1. प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 390 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान मे विस्थित है।
2. यह कि प्रार्थी की उक्त भूमि की सीमाओं से संबंधित विवाद है। तथा ऐसी सीमा संबंधित विवादो का विनिश्चय के लिए लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 111 एवं 128 मे व्यवस्था की गई है, जिसके तहत सीमाओ के संबंध मे किसी विवाद की दशा मे भूमि अभिलेख अधिकारी जहॉ तक सम्भव हो विद्यमान सर्वेक्षण नक्शो के आधार पर या ऐसे नक्शे उपलब्ध ना तो वहॉ वास्तविक कब्जे के आधार पर करेगा। साथ ही मे भूमि अभिलेख अधिकारी संक्षेप जांच करके यह सुनिश्चित करेगा कि कौनसा पक्षकार कब्जे का सर्वोत्तम हकदार है और तब तद्नुसार सीमा निश्चित करेगा।
3. यह की प्रार्थीगण के द्धारा तहसीलदार साहब तालेडा को सीमाज्ञान बाबत आवेदन किया गया था। परन्तु प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान से संतुष्ठ नही है। इसलिए प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 111,128 के तहत प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि का सर्वेक्षण (पत्थरगडी) करवाना चाहते है। जिसके लिए अप्रार्थी को आदेशित किया जाना न्याय हित मे अति आवश्यक है।
4. यह कि भूमि की वास्तविक सर्वेक्षण के अभाव मे समस्याओ का सामना करना पड रहा है। इसलिए भूमि का उपरोक्त अनुसार सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान के प्रार्थना है। कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित फरमावे कि कृषि भूमि खसरा संख्या 390 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान का पत्थरगढी से सर्वेक्षण किया जावे तथा सीमा चिन्ह निर्धारित किया जावे।

उप खण्ड अधिकारी तालेडा

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी जरिये पेराकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। पेरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश किया कि प्रकरण औपचारिक पक्षकार है नियमानुसार जवाब अपेक्षित नही है।

Scanned by CamScanner

साक्ष्य में प्रार्थी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 72 ग्राम जाखमूण्ड संवत् 2072–75 की प्रति पेश की।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न साक्ष्य दस्तावेज नकल जमाबन्दी खाता सं0 72 ग्राम जाखमूण्ड संवत् 2072–75 में प्रार्थी छीतर सिंह वल्द पृथ्वी सिंह कोम राजपूत सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है, जो कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थी को नियमानुसार पत्थर गढी करवाने का कानूनन अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार 500/–रू पत्थर गढी शुल्कः राजकोष में जमा कर प्रार्थी की उपस्थिति में प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित विवादित कृषि भूमि की पत्थर गढी की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

उप खण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी (राज.)